

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्य), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरविन्द कोर बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत घारा 251ए आरटीए नम्बर 17 मन् 2024

जीसीएमएस नम्बर 2024/9 (2)

हुम या कार्यवाही मन् अनिश्चित मन्

तामिल
हुकम

नम्बर न तागिय
अहकाम ता हुम
हुम की तागिय
म तागिय हुम

22.07.2024

पार्थी गुरविन्द कोर पत्नी सतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ बी शेखसरपाल तहसील श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान कायदाकारी अधिनियम-1955 की घारा 251ए में दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26.07.2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्य)
श्री करणपुर

26/7/24 वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब
अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
पत्रावली दिनांक 2/8/24 को पेश हो। Kamal

8/5/24 दिनांक 02/08/24 को अवकाश होने के कारण पत्रावली आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथमिक गुरविन्द कोर व जसमीत सिंह दोनों के द्वारा शपथ पत्र बाबत सहमति पेश कर अज किया है कि एक 4 एफ बी के मु.न. 06 के किला नम्बर 02 की पूर्वी बट के साथ 0.025 है. भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लिहाजा प्राचीन प्राचीन पत्र स्वीकार किया जाकर



ग्राम 4FB, पट्टार लुल्का 9FA, नि. क्षेत्र 9FA, तहसील श्रीकरणपुर की पत्नी सतपाल 2025 ता 2028 के खाता नं. 123 के मु.न. 6 के किला 02 की पूर्वी बट के साथ 0.025 है. कोर गुरविन्द कोर रास्ता दर्ज किल जाने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली निगीत होकर बाबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्य)
श्री करणपुर